PAHUJA LAW ACADEMY

दण्ड प्रक्रिया संहिता -1973

Lecture- 1

- इस संहिता में कुल 484 धाराएँ है, जो 37 अध्यायों में विभक्त हैं
- इसमें दो अनुसूची हैं
  1. अपराधों का वर्गीकरण
  2. प्रारूप
- सबसे बड़ा अध्याय अध्याय - 6 है, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं है, धारा 61-90
- यह 1 अप्रैल 1974 से प्रवर्तन में आई है!
- नवीनतम संसोधन इसमें 2013 में हुआ है, जिसका परवर्तन 3 फरवरी 2013 से हुआ है!
- धारा 1 के अनुसार ये जम्मू - कश्मीर को लागु नहीं है
- धारा 1 के अनुसार सिर्फ अध्याय- 8,10,11 ही नागालैंड और क्षेत्रों पर लागु है, शेष अध्याय वहाँ लागु नहीं होते है!
- धारा 2 में कुल 25 परिभाषाएं है!

- **<u>दण्ड प्रक्रिया संहिता का मुख्य उद्देश्य एवं विशेषताएँ</u>**
  1. इसमें पूर्व विधियों की अपेक्षा प्रचुर मानव मूल्य अंतर्ग्रस्त है!
  2. नैसर्गिक न्याय के सिधान्तों के अनुसार अभियुक्त के ऋजु विचारण (Fair Trial) का अपबंध किया गया है!
  3. इसमें नयायपालिका का कार्यपालिका से प्रथक्करण है!
  4. शीघ्र विचारण
  5. मुफ्त विधिक सहायता
  6. प्रति परीक्षा का अधिकार
  7. अग्रीम
  8. चिकित्सीय परीक्षा
  9. बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के 24 घंटे से ज्यादा पुलिस की अभिरक्षा में नहीं रखना, इत्यादि

- **<u>अब तक का संसोधन</u>**
  - सर्वप्रथम दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 लागु हुआ!
  - 1898 के बाद दण्ड प्रक्रिया संहिता - 1973
  - 1973 की संहिता में प्रथम संशोधन - 1978 में हुआ!
  - 1978 के बाद फिर 2005/2006 में मलिमथ कमिटी का सुझाव लाया गया!
  - उसके बाद 2009 में संसोधन किया गया!
  - नवीनतम संसोधन अभी 2013 में किया गया जो की 3 फरवरी 2013 से प्रवृत हुआ!

दण्ड प्रक्रिया संहिता - 1973

दण्ड प्रक्रिया संहिता की आधारभूत संरचना

निवार्नात्मक परिमाप
अध्याय 8, 9, 10, 11

8-परिशान्ति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति
9-पत्नी, संतान, और माता - पिता के भरण पोषण के लिए आदेश
10-लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाये रखना
11-पुलिस का निवारक कार्य

दंडात्मक परिमाप
अध्याय 12 - 32

विचारण से पहले की कार्यवाही (12-17)

12-पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ
13-जाँच और विचारनो में न्यायालयों की अधिकारिता
14-कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्ते
15-मजिस्ट्रेट से परिवाद
16-मजिस्ट्रेटो के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना

विचारण

सामान्य कार्यवाही
18,19,20,21,

विशेष कार्यवाही - 21(A) - 26
21(A)-अभिभावक सौदेंबजी
22-कारगारों में नियुक्त व्यक्तियों की हाजरी
23-जांचों और विचारनो में साक्ष्य
24-जांचों और विचारनों में साधारण उपबन्ध
25-विक्रत्वती अभियुक्त
26-नयाय प्रशाशन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे

विचारण के बाद की प्रक्रिया

विचारण के बाद की प्रक्रिया 27-32

27- निर्णय
28- मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना
29- अपीले
30- निर्देश और पुनरीक्षण

पहला - 7 अध्याय

1- प्रारंभिक
2- दण्ड न्यायलयों और कार्यालयों का गठन
3- न्यायालयों की शक्ति
4- वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयों की शक्तियाँ (क) मजिस्ट्रेटों और पुलिस की सहायता (ख)

31- आपराधिक मामलों का अंतरण
32 - दंडादेशों का निष्पादन, निलंभन, परिहार और लघुकरण

5- व्यक्तियों की गिरफ्तारी
6- हाजिर होने की लिए विवश करने की आदेशिकाएँ
7- चीजें पेश करने के लिए आदेशिकाएँ

<u>अंतिम - 5 अध्याय</u>

33- जमानत और बन्धपत्र
34- सम्पत्ति का व्ययन
35- अनियमित कार्यविधियाँ
36- कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा

अनुसूची

1- अपराधों का वर्गीकरण

2- प्रारूप कुल - 56 प्रारूप संख्या

4(1)

4(2)

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किया अपराध

भारतीय दण्ड संहिता - 1860			दण्ड प्रक्रिया संहिता- 1973		
धारा	अपराध	दण्ड	संज्ञेय व असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	विचारण
1	2	3	4	5	6

अन्य विधियों के विरुद्ध अपराधों का वर्गीकरण

अपराध	संज्ञेय व असंज्ञेय	जमानतीय व अजमानतीय	विचारण
1	2	3	

मौलिक विधि	प्रक्रिया विधि

पाहुजा लॉ अकैडमी

लेक्चर- 2

अपराध एवं अपराधों का वर्गीकरण

मुख्य प्रश्न

1. अपराध को परिभाषित करें एवं प्रक्रियात्मक उद्देश्य के लिए अपराधों का वर्गीकरण करें

2. जमानतीय एवं अजमानतीय अपराध से क्या अभिप्राय है एवं इनके मध्य का अंतर दर्शाएँ

3. निम्नलिखित के मध्य अंतर समझाएं
   a) संज्ञेय अपराध तथा असंज्ञेय अपराध
   b) समन मामला और वारंट मामला
   c) शमनीय अपराध एवं अशमनीय अपराध

पाहुजा लॉ अकैडमी

लेक्चर- 2

अपराध एवं अपराधों का वर्गीकरण

अपराध -2(ढ)

- कार्य का लोप जो तत्समय प्रवृत उस समय किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है!
- परिवाद, पशु अतिचार अधिनियम की धारा -20 में किया जा सके

प्रक्रियात्मक उद्देश्य के लिए अपराधों का वर्गीकरण

- जमानतीय एवं अजमानतीय अपराध 2(क)
- संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध 2(ग), 2(ठ)
- 2(ब) समन मामला और 2(भ) वारंट मामला
- शमनीय अपराध एवं अशमनीय अपराध

1. जमानतीय एवं अजमानतीय अपराध

➢ **जमानतीय अपराध**

- प्रथम अनुसूची में जमानतीय दिखाया गया हो या
- किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है
- यदि तीन वर्ष से कम के लिए कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय है!

➢ **जमानतीय अपराध का अतिरिक्त मुख्य बिंदु**

- जमानत अधिकार के तहत दिया जाता है
- न्यायालय अपने स्वविवेक से कुछ नहीं कर सकती
- पुलिस ऑफिसर और न्यायालय में से कोई भी जमानत दे सकता है

➢ **अजमानतीय अपराध**

→ जमानतीय अपराध के अलावा जितने अपराध होते हैं, अजमानतीय होते हैं|

➢ **अजमानतीय अपराध के अतिरिक्त मुख्य बिंदु**

- जमानत अधिकार के तहत नहीं मांग सकते है
- अजमानतीय अपराध में न्यायालय अपने स्वविवेक से जमानत दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है!

➢ **जमानतीय अपराध एवं अजमानतीय अपराध में अंतर**

1. जमानत अधिकार के तहत या न्यायालयों के स्वविवेक के आधार पर
2. बेल पुलिस द्वारा या न्यायालय द्वारा

3. अपराध की प्रकृति के आधार पर
4. दण्ड के आधार पर अन्य विधि द्वारा

➢ संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध

- संज्ञेय अपराध 2(ग)
- असंज्ञेय अपराध 2(ठ)

❖ संज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराध में अंतर

1. अन्वेषण के आधार पर अंतर
2. अपराध की प्रकृति के आधार पर अंतर
3. अभियोजन के आधार पर अंतर
4. दण्ड के आधार पर अंतर

समन मामला और वारंट मामला

- 2(ब)
- 2(भ)

वारंट मामला जो मृत्यु आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध से सम्बन्धित है|

समन मामला!ऐसे अपराध से सम्बंधित है जो की वारंट मामला नहीं है -

➢ **समन मामला और वारंट मामलो में अंतर**

1. दण्ड के आधार पर
2. आदेशिका के जारी करने के आधार पर
3. विचारण प्रक्रिया के आधार पर
4. अभियोग पत्र जारी करने के आधार पर

➢ **शमनीय अपराध और अशमनीय अपराध**

→ **शमनीय अपराध** दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अन्तर्गत सारणी में दर्शाये गये अपराध शमनीय अपराध कहलाते है|

→ **अशमनीय अपराध** दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अन्तर्गत सारणी के अलावा जितने भी अपराध है अशमनीय प्रकृति के अपराध कहलाते है|

पाहुजा लॉ अकैडमी

लेक्चर- 2

अपराध एवं अपराधों का वर्गीकरण

प्रारम्भिक प्रश्न

1. संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त होगी?
   (a) बिना वारंट गिरफ्तार करना
   (b) सम्बन्धित मामले का अन्वेषण करना
   (c) (a) और (b) दोनों
   (d) सम्बन्धित मामले की जाँच करना

2. पुलिस रिपोर्ट का क्या अभिप्राय है?
   (a) पुलिस की दैनिक केस डायरी में प्रविष्टि
   (b) शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस अधिकारी को दी गयी सूचना
   (c) पुलिस थाने के भार साधक को दिया गया लिखित आवेदन
   (d) पुलिस अधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट को भेजी गयी रिपोर्ट

3. पुलिस डायरी का प्रयोग निम्न में से किस लिए किया जा सकता है?
   (a) अन्वेषण हेतु
   (b) जाँच हेतु
   (c) विकल्प (a) एवं (b) दोनों
   (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

4. न्यायिक कार्यवाही से क्या अभिप्रेत है?
   (a) प्रशासनिक कार्यवाही
   (b) ऐसी कार्यवाही जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैधरूप से शपथ पर लिया जाता है|
   (c) (a) तथा (b) दोनों
   (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

5. वारंट मामले से क्या अभिप्रेत है?
   (a) मृत्यु दण्ड से दण्डनीय अपराध से सम्बन्धित मामला
   (b) आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध से सम्बन्धित मामला
   (c) 2 वर्ष से अधिक की अवधि से सम्बन्धित मामला
   (d) उपरोक्त सभी